

धावासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-31.12.19

सरकार बनाना योजना

निर्णय

पञ्चावली पेश हुई है। और साथल अनुपस्थित।

सक्षेप में तथा इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोनडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में बाक गाम गोनडा तहसील कोटपुर्तली के ख0 न0 1762/0.76 है0 किस्म बजड भूमि में से 0.76 है0 भूमि में से 0.76 है0 पर गोनडा के खसरा नंबर 1762/0.76 है0किस्म जमीन बजड भूमि में से 0.76 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः औरसाथल योजना पुत्र उमादत्त जाति गुर्जर निवासी गोनडा तहसील कोटपुर्तली निवा जयपुर को बाक गाम गोनडा तहसील कोटपुर्तली के ख0 न0 1768/0.76 है0 किस्म बजड भूमि में से 0.76 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः औरसाथल योजना पुत्र उमादत्त जाति गुर्जर निवासी गोनडा तहसील कोटपुर्तली निवा जयपुर को बाक गाम गोनडा तहसील कोटपुर्तली के ख0 न0 1768/0.76 है0 किस्म बजड भूमि में से 0.76 है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी



1.52 रु. का पवास गुणा 76 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है मू- अभिलेख  
निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हो तथा मांग  
कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रवाली बाब  
तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया।